

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: एफ/प्रशा/स्था/2014/8647

दिनांक: 20/10/14

प्रति,


डॉ. पीयूष कान्त शर्मा
सहायक प्राध्यापक (निलंबित)
प्रबंध अध्ययनशाला
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय:- विभागीय जांच प्रतिवेदन के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बावत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके निलंबन के संबंध में विभागीय जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन कार्यपरिषद् की विशेष बैठक दिनांक 17.10.2014 में प्रस्तुत किया गया जिसके पद क्रमांक 01 पर निर्णय लिया गया कि आप जांच प्रतिवेदन के संबंध में 30 दिवस के भीतर अपना पक्ष विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में आपका पक्ष विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं होता है तो एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये विश्वविद्यालय परिनियम-31 के प्रावधानों के अन्तर्गत आपको विश्वविद्यालय की सेवा से पृथक किया जावेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव